रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 489] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 15, 1976/कार्तिक 24, 1898

No. 489] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 15, 1976/KARTIKA 24, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

WEALTH-TAX

New Delhi, the 15th *November*, 1976

S.O. 732(**E**).—In exercise of the powers conferred by section 46 of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Wealth-tax Rules, 1957, namely:—

1. (1) These rules may be called the Wealth-tax (Fourth Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the 15th day of December, 1976.

2. In rule 3A of the Wealth-tax Rules, 1957,—

(a) in sub-rule (3),—

(i) in clause (i) and clause (ii), for the letters, figure and word "Rs. 5 lakhs", the letters, figures and word "Rs. 10 lakhs" shall be substituted;

(ii) in the proviso, for the words "Provided that", the words "Provided further that" shall be substituted;

(iii) before the proviso as so amended, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the District Valuation Officer referred to in clause (i) having jurisdiction in respect of the area may, if he considers it necessary or expedient so to do for the purpose of proper and efficient management of the work of valuation, himself perform such functions in relation to any asset referred to in clause (ii).";

(b) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(4) Where the valuation of any asset, being building or land or any right in any building or land, referred to the District Valuation Officer is pending with him on the 15th day of December, 1976, being the date of commencement of the Wealth-tax (Fourth Amendment) Rules, 1976, the District Valuation Officer shall transfer the reference to the Valuation Officer referred to in clause (ii) of sub-rule (3) if the value of the asset as declared in the return made by the assessee under section 14 or section 15 does not exceed Rs. 10 lakhs or, if the asset is not disclosed or the value of the asset is not declared in such return or no such return has been made, the value of the asset, in the opinion of the District Valuation Officer, does not exceed the said amount.".

[No. 1554/F. No. 143/6/76-TPL]

S. N. SHENDE, Secy.
Central Board of Direct Taxes.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

धन-कर

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1976

का० आ० 732 (अ).—धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड धन-कर नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम धन-कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये 15 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त होंगे।

2. धन-कर नियम, 1957 के नियम 3क में,—

(क) उप-नियम (3) में,—

(i) खण्ड (i) और खण्ड (ii) में, "5 लाख रुपये" अंक और शब्दों के स्थान पर "10 लाख रुपए" अंक और शब्द रखे जायेंगे;

(ii) परन्तुक में, "परन्तु" शब्द के स्थान पर "परन्तु यह और कि" शब्द रखे जायेंगे ;

(iii) इस प्रकार संशोधित परन्तुक से पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु खण्ड (i) में निर्दिष्ट जिला मूल्यांकन अधिकारी जिसको उस क्षेत्र की बाबत अधिकारिता है, यदि वह मूल्यांकन कार्य के समुचित और दक्षतापूर्ण प्रबंध के प्रयोजनार्थ ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, खण्ड (ii) में निर्दिष्ट किसी आस्ति के संबंध में स्वयं ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा।" ;

(ख) उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4) जहां जिला मूल्यांकन अधिकारी को निर्दिष्ट किसी आस्ति का, जो भवन या भूमि के रूप में है या भवन या भूमि में किसी अधिकार के रूप में है, मूल्यांकन 15 दिसम्बर, 1976 को, जो धन-कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1976 के प्रारम्भ होने की तारीख है, उसके पास लम्बित है, वहां जिला मूल्यांकन अधिकारी निर्देश को उप-नियम (3) के खण्ड (ii) में निर्दिष्ट मूल्यांकन अधिकारी को उस स्थिति में अन्तरित कर देगा, यदि धारा 14 या धारा 15 के अधीन निर्धारिती द्वारा दी गई विवरणी में घोषित आस्ति का मूल्य 10 लाख रुपए से अधिक नहीं है या, यदि आस्ति प्रकट नहीं की जाती है अथवा आस्ति का मूल्य ऐसी विवरणी में घोषित नहीं किया जाता है या ऐसी कोई विवरणी नहीं दी गई है, जिला मूल्यांकन अधिकारी की राय में आस्ति का मूल्य उक्त रकम से अधिक नहीं है।"

[सं० 1554/फा० सं० 143/6/76-टी० पी० एल०]

एस० एन० मेंडे, सचिव,
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976